# सेवानिवृत्ति के उपरान्त संस्थान कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं हेतु योजना

# SCHEME FOR MEDICAL FACILITIES TO THE EMPLOYEES OF THE INSTITUTE AFTER THEIR RETIREMENT


भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
रुड़की – 247 667
**INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE**
**ROORKEE 247 667**

## 1. उद्देशिका

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, इस बात पर बिना कोई ध्यान दिये कि वे सेवानिवृत्ति के बाद किस स्थान पर बसते हैं, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार, ओ0पी0डी0 (बाह्य रोगी विभाग) उपचार तथा चिकित्सालय में भर्ती होने हेतु एक मिश्रित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी:

**(क) ओ०पी०डी० सुविधाएँ :** भा.प्रौ.सं.रु.की संविधि 27 {उप–संविधि 1 (बी)} तथा 14 {उप–संविधि 12} के अनुपालन में, "चिकित्सा परिचर्या, उपचार तथा प्रतिपूर्ति" (एम०ए०टी०आर०) नियम के अधीन वर्णित, समस्त ओ.पी.डी. चिकित्सा सुविधाएँ, जो कि, अधिशासी परिषद् (बी०ओ०जी०) द्वारा समय–समय पर सेवारत कर्मचारियों हेतु, स्वीकृत की गई हों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके जीवन साथियों को भी प्राप्त हैं।

**(ख) मैडीफेयर योजना:** "कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा सुविधाएँ" नामक एक योजना जिसे मैडीफेयर कहा जायेगा, नियमित कर्मचारियों की सेवा शर्तो का एक भाग होगी। इस तरह समस्त कर्मचारी स्थायी आधार पर संस्थान में कार्यरत होते ही इस योजना में सम्मिलित हो जायेगें तथा सेवानिवृत्ति और उसके उपरान्त भी जब तक कि उपयुक्त खण्ड III.12 या III.13 (क) के अधीन प्रत्याहरण विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें रहेंगें। संस्थान के समस्त सेवारत स्थायी कर्मचारी बी०ओ०जी० द्वारा इस योजना को अंगीकृत किये जाने की तिथि को तथा वे कर्मचारी जो 21 सितम्बर 2001 को, चाहे संस्थान के नियमित कर्मचारी के रूप में या अधिवर्षता के बाद पुर्नरोजगार पर, कार्यरत थे, बी०ओ०जी० द्वारा इस योजना को अंगीकृत किये जाने की तिथि से छः महीने के अंदर, इस संबंध में एक विकल्प भरे जाने पर, इस योजना में सम्मिलित होने के हकदार होंगे। वे सभी पात्र कर्मचारी जो इस योजना में सम्मिलित होते हैं, "सदस्य" कहे जायेगें। यह योजना सदस्यों, उनके जीवन साथियों (जिन्हें सह सदस्य कहा जायेगा), तथा केवल आश्रित विकलांग बच्चों हेतु उपलब्ध होगी।

मैडीफेयर योजना के अंतर्गत संरक्षण केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों, क्लिनिकों तथा ऐसे अन्य चिकित्सालयों व क्लिनिकों में, जिनके लिये भा०प्रौ०सं० रुड़की चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी०एम०ओ०) या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य चिकित्साधिकारी या किसी चिकित्सालय/क्लिनिक जिसमें उपचार हो रहा हो द्वारा निर्देशित किया गया हो, भर्ती होने के लिये ही हैं। {सन्दर्भः खण्ड II.1 (ए) तथा III.4}। सेवानिवृत्ति के उपरान्त उपचार व प्रतिपूर्ति की हकदारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के संवर्ग के समतुल्य संवर्ग वाले सेवारत कर्मचारियों के बिल्कुल समान होगी।

ओ०पी०डी० सुविधाओं का विवरण भाग II में तथा मेडीफेयर योजना का विवरण भाग III में उल्लिखित है। ओ०पी०डी० उपचार तथा साथ ही मेडीफेयर योजना के अधीन चिकित्सालय में भर्ती होने हेतु मिश्रित योजना का प्रचालन पहलू तथा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया अंतिम रूप से भाग IV में वार्णित है।

## II. ओ०पी०डी० सुविधाएँ

1. कोई भी कर्मचारी जो कि मेडीफेयर योजना का सदस्य हो, वो सेवानिवृत्ति के समय ओ०पी०डी० सुविधा का लाभ उठाने हेतु निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को चुन सकता है। एक बार चुन लेने पर वह विकल्प अंतिम होगा तथा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के जीवन साथी पर भी बाध्यकारी होगा। सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके जीवनसाथी द्वारा यह विकल्प चुना जाना अनुमन्य होगा।

(क) रुड़की में, या रुड़की के अलावा अन्य किसी स्थान पर निवास करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके जीवनसाथी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की चिकित्सालय में या देश के किसी भी सरकारी चिकित्सालय में ओ०पी०डी० उपचार करा सकते हैं, बाहर रहने वाले कर्मचारियों के उपचार (दवाओं एवं परीक्षण आदि के खर्च सहित) की, संस्थान द्वारा सेवारत कर्मचारियों हेतु समय–समय पर स्वीकृत किये गये प्रचलित प्रतिमानों के अनुरूप, प्रतिपूर्ति की जायेगी। 'सरकारी चिकित्सालय' में केन्द्र/राज्य सरकारों के कोई भी चिकित्सालय तथा सरकारी विभागों जैसे कि रेलवे, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि,



व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के चिकित्सालय भी सम्मिलित होंगे। हालॉकि, किसी अन्य निजी चिकित्सालय/क्लिनिक (चाहें खण्ड III.4 में दिये गये अनुसार, संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा नहीं) में उपचार के मामले में प्रतिपूर्ति सेवारत कर्मचारियों पर लागू प्रतिमानों के अनुरूप ही होगी।

(ख) जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उपरोक्त प्रावधान को नही चुनता उसे चिकित्सा भत्ता मिलेगा जो कि रू० 200/– प्रतिमाह होगा। ऐसे कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त यह भत्ता उसके जीवनसाथी को जीवन पर्यन्त मिलेगा।

2. यदि संस्थान कर्मचारी का जीवनसाथी किसी राज्य/केन्द्र सरकार/अन्य स्वशासी/ निगमित निकाय में सेवारत है, तो भा०प्रौ०सं० कर्मचारी ओ०पी०डी० सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु, एक संयुक्त विज्ञप्ति द्वारा घोषित करके मेडीफेयर योजना या जीवनसाथी के नियोक्ता में से किसी एक को चुन सकता है।

## III. मेडीफेयर योजना

1. मेडीफेयर के समस्त सदस्यों को, अपनी सेवा श्रेणी पर आधारित दर पर, जोकि वर्तमान में, नीचे दिये हुये अनुसार है, एक मासिक अंशदान देना है:–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | संकाय, समकक्ष शैक्षिक स्टॉफ व समूह 'क' कर्मचारी | रूपये 150/– |
| (ख) | समूह 'ख' कर्मचारी | रूपये 100/– |
| (ग) | समूह 'ग' कर्मचारी | रूपये 70/– |
| (घ) | समूह 'घ' कर्मचारी | रूपये 40/– |

अंशदान मासिक वेतन बिल द्वारा प्रभावी 20 वर्ष की अवधि हेतु देय होगा तथा ड्यूटी, निलंबन व अवकाश की अवधि में वसूलनीय होगा।

यहाँ यह उल्लिखित करना है कि, विभिन्न प्रकार के चिकित्सालयों के बारे में उपरोक्त विवरण का यह तात्पर्य नहीं है कि ये चिकित्सालय भा०प्रौ०सं रुड़की के कर्मचारियो को चिकित्सा सुविधाएँ किये जाने हेतु सहमत हो गये है तथा ये भी कि संस्थान इस मामले में बातचीत करने की जिम्मेदारी नहीं लेता।

2. *किसी कर्मचारी, उसके जीवनसाथी तथा आश्रित विकलांग बच्चे के अपने जीवनकाल में चिकित्सालय में भर्ती होने हेतु संचयी प्रतिपूर्ति (इस उद्देश्य के लिये संस्थान द्वारा किसी चिकित्सालय को किये गये सीधे भुगतान सहित) की कुल धनराशि की, एक उच्चतम सीमा निर्धारित होगी, जो कि वर्तमान में निम्नलिखित अनुसार होगी :–

श्रेणी क : रूपये 12.00 लाख
श्रेणी ख : रूपये 09.00 लाख
श्रेणी ग : रूपये 07.00 लाख
श्रेणी घ : रूपये 06.00 लाख

ये श्रेणियां क–घ, खण्ड III.1 में अंशदान के उद्देश्य हेतु परिभाषित चार श्रेणियों के क्रमशः समरूप हैं तथा उपरोक्त उच्चतम सीमा खण्ड II.1 संस्थान चिकित्सालय द्वारा बाह्य चिकित्सा हेतु निर्धारित औषधी की प्रतिपूर्तियों सहित होगी।

3. अंशदान दर {खण्ड III.1}, उच्चतम सीमा {खण्ड III.2} तथा मासिक चिकित्सा भत्ता {खण्ड II.1 (ख)} प्रत्येक तीन वर्ष पर या उससे पूर्व, जैसा भी चिकित्सालय सलाहकार समिति की सलाह पर निदेशक द्वारा तय किया जायेगा, पुनरीक्षित किये जायेंगे। मेडीफेयर समिति, अन्य के साथ, संकाय फोरम के प्रतिनिधियों व साथ ही शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघो के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर सकती है तथा यह बी0ओ0जी0 द्वारा नियुक्त होगी। समिति, वेतन संरचना, उपचार के खर्च में हुये किया महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करेगी।

टिप्पणीः– यदि किसी समय पर अंशदान दर बढ़ाई जाती है, तो वृद्धि, खण्ड 13 (ख) व (ग) के अन्तर्गत राहत के सिवाय, देय किस्तों पर लागू होगी, तथा उन किस्तों पर लागू नहीं होगी जिनका पहले ही भुगतान किया जा चुका है। हालॉकि बढ़े हुये लाभ सभी के लिये उपलब्ध होंगे।

* संशोधन बी0ओ0जी0 संकल्प सं0 बी0जी0 / 28 / 2010 दिनांक 26.08.2010



4. संस्थान संपूर्ण देश के प्रमुख नगरों व कस्बों में चिकितसालयों / क्लिनिकों / नर्सिंग होम्स को अभिज्ञात करेगा जहॉ सदस्य चिकित्सालय में भर्ती होने की सुविधाऍ प्राप्त कर सकते हैं। जब भी वांछित हो मेडीफयर समिति इस सूची को अद्यतन करा सकेगी। ऐसे मामलों में उपचार हेतु प्रतिपूर्ति की धनराशि खण्ड III.2 में उपलब्ध किसी सदस्य को स्वीकार्य धनराशि से अधिक नहीं हेागी।

5. चिकित्सीय आकस्मिता के मामले में, सेवारत कर्मचारियों पर लागू नियम मेडीफेयर सदस्यों पर भी लागू होंगे परंतु खण्ड खण्ड III.2 में दी गई सीमा के साथ।

6. बिना आकस्मिकता के मामलों में, जब खण्ड II.1 (क) तथा III.4 में उल्लिखित चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सालय में भर्ती होने की सलाह दी गई हो, तो सदस्य मेडीफेयर प्रकोष्ठ {सन्दर्भः खण्ड IV.(ख)} को सूचनार्थ एवं रिकार्ड हेतु मामले के अभिलेखों की फोटो प्रतियां भेजेगा।

7. योजना को अंगीकृत किये जाने के समय सेवारत कर्मचारियों हेतु अंशदान संस्थान द्वारा अधिसूचित सभी के लिये एक ही तिथि से देय होगा। वे कर्मचारी जो भाग–I में उल्लिखित 6 महीने की अवधि के अन्दर योजना में सम्मिलित होने को नहीं चुनते, उन्हें अधिवर्षता तक, किसी अन्य तिथि को, उपरोक्त एक ही तिथि से, 10 प्रतिशत अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अंशदान के बकाये की संपूर्ण धनराशि का भुगतान करने पर अनुमति प्रदान की जा सकती है।

8. कोई पात्र कर्मचारी जो योजना के अंगीकृत किये जाने की तिथि को पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका हो या 20 वर्ष तक मासिक अंशदान देने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जायेगा वह 20 वर्ष के अंशदान के बराबर की धनराशि में से उसके द्वारा पहले दी जा चुकी धनराशि को घटाकर एकमुश्त रूप में भुगतान कर सकता है। यदि सदस्य चाहे तो एकमुश्त अंशदान खण्ड III.7 में उल्लिखित एक ही तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर 4 एक समान किस्तों में भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। हालांकि, यदि कोई सेवानिवृत्त

कर्मचारी किस्तों में भुगतान के अपने विकल्प का उपयोग करता है तो उसे मेडीफेयर योजना के अन्तर्गत सुविधाएं केवल अंतिम किस्त के भुगतान की अगली तिथि से ही प्राप्त होगी।

9. यह योजना उन कर्मचारियों हेतु भी उपलब्ध होगी जो भविष्य में भा०प्रौ०सं० रुड़की में कार्यभार ग्रहण करेंगे, परंतु संस्थान में 20 वर्ष से कम सेवा करेंगे, बशर्ते वे संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने के छः माह के भीतर इस योजना को चुने तथा कुल अंशदान 20 वर्ष के बराबर करने हेतु कम पड़ रही धनराशि का भुगतान करें। उन्हे कम पड़ गई धनराशि को 4 एक समान किस्तों में भुगतान किये जाने की अनुमति दी जा सकती है।

10. *पति व पत्नी दोनो के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की में सेवारत होने की दशा में कोई एक या दोनो मेडीफेयर योजना में शामिल हो सकते हैं। दोनो के मेडीफेयर योजना में शामिल होने की दशा में वे दोनो स्वतन्त्र रूप से सदस्य माने जायेंगे और उनके दावों का निस्तारण उनकी पात्रता के आधार पर स्वतन्त्र सदस्य के रूप में किया जायेगा। एक की मृत्यु की दशा में उसकी सदस्यता का लाभ उसके जीवित साथी को स्थानान्तरित नही होगा।

11. यदि संस्थान कर्मचारी का जीवनसाथी किसी राज्य/केन्द्र सरकार/अन्य स्वशासी/निगमित निकाय में रोजगाररत हो, तो भा०प्रौ०सं० रुड़की का कर्मचारी संस्थान की मेडीफेयर योजना के अन्तर्गत चिकित्सालय में भर्ती होने की सुविधा या जीवनसाथी के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त सुविधा में से किसी एक को एक संयुक्त विज्ञप्ति के माध्यम से घोषित करके चुन सकता है।

12. कोई भी सदस्य सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के समय अपने खाते में जमा मुल धनराशि को वापस लेकर इस योजना को छोड़ सकता है। यदि कोई सदस्य एक बार इस योजना को छोड़ दे तो उसे पुनः इसमें सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी सिवाय इसके कि वह एक नियमित कर्मचारी के रूप में संस्थान में पुनः कार्यभार ग्रहण कर लें।

* संशोधन बी0ओ0जी0 संकल्प सं0 बी0जी0/50/2012 दिनांक 27.11.2012



13. यदि सेवाकाल के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी (या जीवनसाथी की पहले ही मृत्यु हो जाने की स्थिति में विकलांग बच्चे) के पास निम्नलिखित विकल्प होगें :

(क) योजना को छोड़ते हुये मृतक के मेडीफेयर खाते में जमा मूल धनराशि को वापस ले लेना।

(ख) योजना में बने रहते हुये, शेष अवधि के लिये, यदि मासिक अंशदान देय हो तो उसका भुगतान करना।

(ग) योजना में बने रहते हुये, 20 वर्ष के अंशदान में से मृतक कर्मचारी द्वारा पहले ही दी जा चुकी धनराशि को घटाकर, शेष धनराशि का एकमुश्त भुगतान करना। यह विकल्प जीवनसाथी या विकलांग बच्चा, जो भी मामला हो, को मेडीफेयर सुविधाओं का लाभ उठाने की तिथि के संबंध में आगे चुनने का अधिकार देगा :

(i) एकमुश्त धनराशि के भुगतान की तिथि के पश्चात, या

(ii) उस तिथि के बाद जब मृतक कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ होता।

टिप्पणीः– खण्ड़ III.3 के अनुसार अंशदान दरों में कोई वृद्धि (ख) और (ग) में लागू नहीं की जायेगी, परंतु मृतक के परिवार के उत्तरजीवी लाभप्राप्तकर्ता को बढ़े हुये लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

14. उपरोक्त उल्लिखित खण्ड़ III.12 तथा III.13(क) के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति के अन्तर्गत अंशदान दी गई धनराशि की वापसी अनुमन्य नही होगी।

## IV. संचालन पक्ष

(क) संस्थान, योजना के प्रत्येक सदस्य हेतु, भविष्य निधि खाते रखे जाने के ढ़ंग से, एक अलग खाता रखेगा तथा योजना का संबधित खाता नंबर कर्मचारी की मेडीफेयर सदस्यता खाता संख्या के रूप में भी तामील किया जा सकता है।

(ख) मिश्रित चिकित्सा सुविधाओं की देखभाल हेतु संस्थान में एक अलग मेडीफेयर प्रकोष्ठ होगा। प्रतिपूर्ति के सभी दावे चाहे वे ओ०पी०डी० उपचार के

हों या मेडीफेयर योजना के अन्तर्गत हों, मेडीफेयर प्रकोष्ठ में भेजे जाने होगें, जो इसके लिये प्राप्ति देगा तथा संबधित सूचनाओं से युक्त प्राप्ति कार्ड को इस उद्देश्य के लिये प्रयोग किया जा सकता है। प्रकोष्ठ यह सुनिश्चित करेगा कि दावों पर कार्यवाही शीघ्रतम की जाये तथा आपत्ति, यदि कोई हो तो, वह बिल प्राप्त करने के दो सप्ताह के अंदर दावेदर को सूचित कर दी जाये।

(ग) पूर्व कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के मामले में जीवनसाथी पत्राचार करेगा तथा यदि जीवनसाथी की भी मृत्यु हो जाती है तो सबसे बड़ा विकलांग बच्चा पत्राचार करेगा।

(घ) उपरोक्त उल्लिखित प्राप्ति कार्ड में निम्नलिखित सूचनाएँ होनी चाहिये :

1. सदस्य का नाम :
2. रोगी का नाम :
3. पूर्व कर्मचारी संख्या :
4. मेडीफेयर सदस्यता संख्या :
5. बिल की कुल धनराशि :
6. संलग्नकों की संख्या :
7. बिल प्राप्त किये जाने की तिथि :

1–6 तक की सूचनाएँ पत्राचार करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्ड में स्वयं भरी जानी होगीं जबकि 7 वीं सूचना मेडीफेयर प्रकोष्ठ द्वारा भरी जायेगी।

नोटः– हिन्दी रूपान्तर कर्मचारियों की सुविधा हेतु दिया गया है। किसी व्याख्या में सन्देह की स्थिति में, बोर्ड द्वारा स्वीकृत Medifare अंग्रेजी का रूप ही मान्य होगा।

XXXXXX



## 1. PREAMBLE

The retired employees of the Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) shall have a Composite Medical Facility available to them for OPD treatment and hospitalization, as described below, irrespective of the place where they get settled after their retirement:

**A. OPD Facilities:** All OPD medical facilities, described under "Medical Attendance, Treatment and Reimbursement" (MATR) Rules in accordance with the Statutes 27 [sub-statute 1(b)] and 14[sub-statute 12] of IITR, as approved by the Board of Governors (BOG) from time to time for serving employees, are available to the retired employees and their spouses.

**B. MEDIFARE Scheme:** A scheme called the "Medical Facilities after Retirement of the Employees", and hereinafter referred to as MEDIFARE, will be a part of the service conditions of the regular employees. All employees will thus join the scheme on joining the Institute on permanent basis and will continue in it till their retirement and thereafter unless withdrawal option under the appropriate Clause III. 12 or III.13 (a) is exercised. All serving permanent employees of the Institute on the date of adoption of the scheme by the BOG and those who were on rolls of the Institute on the 21st September 2001, either as regular employees of the Institute or on re-employment after superannuation, will be entitled to join the scheme on exercising an option in this regard within six months of adoption of the scheme by the BOG. All eligible employees who join the scheme will hereinafter be referred to as 'members'. The Scheme will be available to the Member, his/her spouse (referred to as the Associate Member), and dependent handicapped children only.

The coverage under the MEDIFARE Scheme will be only for hospitalization in recognized Hospitals and Clinics, and, in such other Hospitals and Clinics to which they may be referred by the Chief Medical Officer (CMO) of IIT Roorkee Hospital or by any other Medical Officer authorized by him/her or by any hospital/clinic in which they get treatment [ref: Clause II.1(a) and III.4].The entitlement of treatment and reimbursement after retirement will be at par with that of employees in service in corresponding cadres as that of the retired employee at the time of retirement.

The details of the OPD facilities are mentioned in Section II and those of the MEDIFARE Scheme in Section III. The operational aspects of the Composite Scheme and the reimbursement procedure for OPD treatment as well as hospitalization under MEDIFARE Scheme are described finally in Section IV.

## II. OPD FACILITIES

1. An employees, who is a member of the MEDIFARE Scheme, may choose at the time of retirement to be covered by one of the following provisions for OPD. Such an option, once exercised, will be final and binding also on the spouse of the retiring employee. In the event of the death of such an employee during service, his/her spouse will be allowed to make this option.

(a) The retired employees and spouses residing in Roorkee or at places other than Roorkee can get OPD treatment in IITR hospital or in any Government Hospital all over the country and in the later case they will be reimbursed for treatment (including costs of medicines, tests, etc.) as per prevailing norms approved by the Institute from time to time for serving employees. The term 'Government Hospital' would include any Central/State Government hospital and also hospitals of Government Departments such as Railways, Department of Atomic Energy etc., as also Hospitals of the Public Sector Undertakings. However, in case of treatment in any other private hospital/clinic (whether recognized by the Institute, as described in Clause III.4, or not), the reimbursement will be as per norms applicable to the serving employees.

It may be mentioned here that the above statement regarding various kinds of hospitals does not imply that such hospitals have agreed to provide facilities to IITR employees and further that the institute does not undertake to negotiate in this matter.

(b) A retired employees not opting for the above provision would draw medical allowance, which will be Rs. 200/- per month. After the death of such an employee, the allowance will be available to his/her spouse life long.



2. If the spouse of the staff member is employed in the State/Central Govt./another autonomous/Corporate body, the IITR employee can choose to avail the OPD facilities either from the MEDIFARE Scheme or from the spouse's employer, by declaring the same through a joint communiqué.

## III. MEDIFARE SCHEME

1. A monthly subscription is to be paid by all members of the MEDIFARE, at a rate based on their service categories, which at present is as indicated below :

| | | |
|---|---|---|
| A. | Faculty, equivalent academic staff and Group 'A' employee | Rs. 150/- |
| B. | Group 'B' employees | Rs. 100/- |
| C. | Group 'C' employees | Rs. 70/- |
| D. | Group 'D' employees | Rs. 40/- |

The subscription will be payable for a period of 20 years effected through the monthly salary bill and will be recoverable during the period of duty, suspension and leave.

2. *A ceiling of the total amount of cumulative reimbursement (including direct payments made by the Institute to any Hospital for this purpose) for hospitalization that may be made to an employee, his/her spouse and the handicapped dependent children during their lifetime will be prescribed, which at present will be as follows :

| | |
|---|---|
| Category A : | Rs. 12.00 Lakhs |
| Category B : | Rs. 9.00 Lakhs |
| Category C : | Rs. 7.00 Lakhs |
| Category D : | Rs. 6.00 Lakhs |

* Amended vide BOG resolution No. BG/28/2010 dated 26.08.2010.

These categories A-D correspond respectively to the four categories defined in Clause III.1 for the purpose of subscription and the above-mentioned ceilings will be inclusive of reimbursements for OPD prescribed in Clause II.1

3. The subscription rates [Clause III.1], ceilings [Clause III.2] and monthly medical allowance [Clause II.1(b)] will be reviewed by the every three years or earlier, as may be decided by the Director on the advice of the Hospital Advisory Committee. The MEDIFARE Committee may include among others the representatives of the Faculty Forum as well as the Non-teaching Employees Association(s) and will be appointed by the BOG. The Committee will take into consideration any substantial changes in the pay structure, cost of treatment and other relevant issues.

Note:-If the subscription rate is enhanced at any point of time, the increase shall apply on the installments due, except relief under the Clauses 13(b) and (c), and not on those already paid. However, the increased benefit shall be available to all.

4. The Institute will recognize hospitals/ clinics/ nursing homes in major cities and towns all over the country where the members may avail hospitalization facilities. The list may get updated by the MEDIFARE Committee whenever required. The amount of reimbursement for treatment in such cases will not exceed the amount admissible to a member as provided in Clause III.2.

5. In case of medical emergency, the rules as applicable to the serving employees shall apply also to the MEDIFARE members but with the limits as given in Clause III.2.

6. In non-emergency cases, when advised hospitalization by the hospitals mentioned in Clause II.1(a) and III.4, the members will send photocopies of records of the case to the MEDIFARE Cell [ref: Clause IV(b)] for information and record.

7. The subscription for the serving employees at the time of adoption of the Scheme will be payable from a common date to be notified by the Institute. Those employees who opt not to join the Scheme within six months period mentioned in Section I may be



permitted to join the same on any date till superannuation after paying all the arrears of subscription from the said common date along with 10% interest compounded half-yearly.

8. Any eligible member who has already retired on the date of adoption of the Scheme or would be retiring before paying the monthly subscription for 20 years will be required to pay a lump sum among equal to 20 years subscription minus the amount already paid by him/her. If desired by the member, the lump sum contribution may be allowed to be paid in 4 equal installments over a period of one year from a common date mentioned in Clause III.7. However, if a retired employee exercises his/her option for payments in installments, the facilities under the MEDIFARE Scheme shall be available to him/her only from the next date of the payment of the final installment.

9. The Scheme will be available also to the employees who would join IIT Roorkee in future but would be serving the Institute for less than 20 years, provided he/she opts for the Scheme within six months of joining the Institute and pays the shortfall amount to make the total contribution equivalent to 20 years subscription. He/she may be allowed to pay the shortfall amount in 4 equal installments within one year.

10. *If both husband and wife are employed in IIT Roorkee, either one of them or both can join the Medifare Scheme. In case both join the Scheme, they will be treated as independent members and their claims will be settled as per entitlement as independent member. In case of demise of one, the benefit of its membership shall not be passed on to his/her living spouse.

11. If the spouse of the staff member is employed in State/Central Govt./another autonomous/Corporate body, the IITR employee can choose to avail the hospitalization facilities either under the MEDIFARE Scheme of the Institute or from the spouse's employer, by declaring the same through a joint communiqué.

* Amended vide BOG resolution No. BG/50/2012 dated 27.11.2012.

12. A member may opt to leave the Scheme at the time of retirement or resignation from the Institute by taking refund of the principal amount standing in his/her account. Once a member leaves the Scheme, he/she will not be permitted to rejoin the same except when he/she rejoins the Institute as a regular employee.

13. If a member dies during service, his/her spouse (or the handicapped children in case the spouse would have expired already) will have the following options available:

(a) To opt out of the Scheme and to take refund of the principal amount standing in the MEDIFARE account of the deceased employee.

(b) To continue in the Scheme and to make the payment of the monthly subscription, if due, for the remaining period.

(c) To continue in the Scheme by making a payment of the lump sum amount equal to 20 years subscription minus the amount already paid by the deceased employee. This option will give the spouse or the handicapped children, whichever the case may be, further choice in respect of the date from which he/she can avail the MEDIFARE facilities:

(i) After the date of the payment of the lump sum amount, or
(ii) After the date on which the deceased employee would have retired.

Note. Any increase in the subscription rates as per Clause III.4 shall not be applied in (b) or (c) but the increased benefits shall be made available to the surviving beneficiary of the deceased family.

14. No refund of the subscribed amount will be permissible under any circumstances other than those mentioned in Clause III.12 and III.13 (a).

## IV. OPERATIONAL ASPECTS

(a) The Institute will maintain a separate account for every member of the Scheme in the manner in which the Provident Fund accounts are maintained and the corresponding Account Number



of the Scheme may serve also as the MEDIFARE Membership Number of the employee.

(b) There will be separate MEDIFARE Cell in the Institute to look after the Composite Medical Facilities. All reimbursement claims, whether for OPD treatment or under the MEDIFARE Scheme, will have to be sent to the MEDIFAFRE Cell which will acknowledge the same and an acknowledgement card having relevant information may be used for this purpose. The Cell will ensure that the claims are processed at the earliest and objections, if any, are communicated to the claimant within two weeks of the receipt of bills.

(c) The spouse will do the correspondence in case the ex employee is deceased and the eldest handicapped child will do the correspondence if the spouse is also deceased.

(d) The Acknowledgement Card mentioned above should contain the following information:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Name of the Member | : |
| 2. | Name of the Patient | : |
| 3. | Ex-Employment No. | : |
| 4. | MEDIFARE Membership No | : |
| 5. | Total amount of bills | : |
| 6. | Number of enclosures | : |
| 7. | Date of receipt of bills | : |

The information 1-6 in the card will have to be filled by the person doing the correspondence while the information 7 will be filled by the MEDIFARE Cell.

XXXXXX